भारतीय जीवन बीमा निगम, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, कार्मिक विभाग, भोपाल

दिनांक 10 अक्टूबर , 2023 को आयोजित सूचना आदान-प्रदान सत्र का कार्यवृत।

दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को क्षेत्रीय प्रबंधन की सी.ज़ेड.आई.इ.ए. के प्रतिनिधियों के साथ सूचना आदान-प्रदान सत्र क्षेत्रीय कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित किया गया जिसमें निम्न प्रतिभागियों ने सहभागिता की।

प्रबन्धन की ओर से :----

1. श्री बाघराय माझी	क्षेत्रीय प्रबन्धक
2. सुश्री रश्मि भटनागर	प्रादेशिक प्रबन्धक(का.एवं औ.सं.)
3. श्री राजीव चन्द्र सेठ	प्रादेशिक प्रबन्धक(सं.एवं का.से.)
4. श्री ए.ए.एम. हिलाली	उप मुख्य अभियंता
5. सुश्री बिशाखा मजुमदार	सचिव (का.एवं औ.सं.)
6. सुश्री विनीता असरानी	सहायक सचिव (का.एवं औ.सं.)
7. श्री अमित श्रीवास्तव	सहायक सचिव(का.एवं औ.सं.)
8. श्री अमोल नागले	प्रशासनिक अधिकारी (का.एवं औ.सं.)
9. श्री डेविड पौनिकर	प्रशासनिक अधिकारी (का.एवं औ.सं.)

सी.ज़ेड.आई.इ.ए. की ओर से :---

1. श्री डी.आर.महापात्रा
2. श्री अजीत केतकर
3. श्री पूषन भट्टाचार्य
4. श्री संदीप बेलेकर
5. श्री हीरालाल कुशवाह
6. श्री स्वर्नेंदु दास
7. श्री सुरेन्द्र शर्मा
8. श्री राजेश शर्मा
9. श्री ब्रजेश सिंह
10. श्री संदीप सोनी
11. श्री करण सोनकर

बैठक के प्रारम्भ में सुश्री बिशाखा मजुमदार, सचिव (का.एवं औ.सं.) ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए निगम गीत के सम्मान में अपने-अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह किया। निगम गीत के पश्चात बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों द्वारा स्वपरिचय दिया गया।

स्वपरिचय के उपरांत सुश्री रश्मि भटनागर, प्रादेशिक प्रबन्धक (का.एवं औ.सं.) ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि निगम की प्रगति ही हम सबका एक मात्र उद्देश्य है इसलिये निगम के विकास के लिए हमें साझा प्रयास करने होंगे| इसके पश्चात उन्होंने पावर पाईंट प्रस्तुति के माध्यम से निगम की प्रगति में मध्य क्षेत्र की भूमिका, नव व्यवसाय की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर मध्य क्षेत्र की स्थिति के साथ साथ निगम के समक्ष भविष्य में आने वाली चुनौतियों से भी अवगत कराया।

पावर पाईंट प्रस्तुति के उपरांत श्री बाघराय माझी, क्षेत्रीय प्रबन्धक ने अपने उद्बोधन में सूचना सहभागिता सत्र में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य के विषय में भी सोचना होगा तथा हर कर्मचारी को अपने कर्तव्यों के पालन में अपनी क्षमता से अधिक योगदान देना होगा| तभी निगम का विकास संभव हो सकेगा| उन्होंने कहा की चुनौतिया कठिन हैं परन्तु विकास वाहिनी, अभिकर्ताओं एवं ग्राहकों की सेवा को उच्चतम प्राथमिकता देते हुए कार्य करना होगा| उन्होंने कहा की आपसी सामंजस्य से कार्य करना ही निगम की प्रगति में लाभकारी होगा|

तत्पश्चात, सुश्री बिशाखा मजुमदार,सचिव (का.एवं औ.सं.) ने सी.ज़ेड.आई.इ.ए. के महासचिव श्री डी.आर.महापात्रा को बैठक को सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित किया।

श्री डी.आर.महापात्रा ने अपने उद्बोधन में सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक का आयोजन करने पर प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा की सुचना सहभागिता सत्र मध्य क्षेत्र की बढ़िया परम्परा हैं जिसके माध्यम से प्रबंधन और कर्मचारी संगठन दोनों को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त होता है| उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने निगम के समक्ष आई अभी तक की सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया हैं एवं आने वाली चुनौतियों को लेकर भी संगठन स्तर कोई दुविधा नहीं हैं| निगम की प्रगति के लिए उनका संगठन हमेंशा प्रतिबद्ध रहा हैं एवं आगे भी रहेगा तथा प्रबंधन के साथ भी हमेशा सहयोग करते रहे है एवं इसे आगे भी जारी रखेंगे|

तत्पश्चात बैठक में कार्यसूची के अनुसार चर्चा आरंभ हुई जिसका विवरण इस प्रकार हैं-

1. जमीन एवं स्वयं के भवनों की आवश्यकता:-

रायपुर- दन्तेवाडा में निगम द्वारा क्रय की गई जमीन से संबंधित समस्या का समाधान हो गया है अतः कार्यालय भवन का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाये। राजनांदगावं, सरायपाली, सीएबी भिलाई व कांकेर शाखाओं के लिये जमीन क्रय की जाये । शाखा कार्यालय, राजनादंगॉव के वर्तमान भवन में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है जिसके चलते बीमाधारक, अभिकर्ता व प्रशासनिक कर्मचारियां से निरंतर ट्राफिक पुलिस के साथ विवाद की स्थिति निर्मित हाते है, अतः इसे अन्य भवन मं स्थानान्तरित किया जाये|

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि दंतेवाड़ा में शाखा भवन हेतु क्रय की गई भूमि पर वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाई हुई है जिसके निदान की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है। अंतिम पत्राचार दिनांक 09.03.2023 तथा व्यक्तिगत प्रयास जारी है।
राजनांदगाँव, सराईपल्ली, कांकेर, शाखाओं के भवनों के लिए भूमि क्रय के प्रयत्न पूरी क्षमता के साथ चल रहे थे। किंतु इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कार्यालय द्वारा भूमि क्रय करने हेतु पूंजीगत बजट (CAPITAL BUDGET) प्रदान नहीं किया गया है। अत: इस वर्ष शाखा –कार्यालय भवन हेतु भूमि क्रय करना संभव नहीं प्रतीत होता है।
शाखा कार्यालय राजनांदगाव के वर्तमान भवन के स्थानांतरण हेतु केंद्रीय कार्यालय को PPC अनुमति हेतु पत्र दिनांक 24.07.2023 को प्रेषित किया गया है।

जबलपुर- सिहोरा, सागर-2, सीएबी-सागर, कटनी-2, नरसिंहपुर, बीना एवं लखनादौन शाखा के लिये जमीन क्रय की जाये। शाखा कार्यालय, बीना का भवन जर्जर स्थिति में है, अतः उसे अन्यत्र स्थानांतरित

किया जाये, विगत बैठक में सहमति के बाद भी अभी तक यह लंबित है। शाखा कार्यालय के स्वयं के भवनों में बाहरी दीवार पर स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग व एनसीपी पैनलिंग का कार्य कराया जाये ।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कार्यालय द्वारा भूमि क्रय करने हेतु पूंजीगत बजट) CAPITAL BUDGET) प्रदान नहीं किया गया है। अत: इस वर्ष शाखा कार्यालय भवन हेतु भूमि क्रय करना संभव नहीं प्रतीत होता है।
शाखा कार्यालय बीना के भवन के भीतरी भाग का नवीनीकरण (Renovation) मकान मालिक द्वारा करवाया जा चुका है। शाखा भवन को अन्यंत्र स्थानांतरित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

भोपाल – गंजबसौदा, शुजालपुर, रायसेन, होशगांबाद, बैरागढ, बैतूल, भोपाल शाखा क्रमॉंक-4, सीएबी शाखा में स्वयं के भवन हेतु जमीन क्रय की जाये। भोपाल शाखा क्रमांक-1 एवं शाखा क्रमांक-2 में पार्किंग की समस्याये गंभीर है । इसके सभी पहलुओं से क्षेत्रीय प्रबंधन स्वयं अवगत है। अतः इसका गंभीरता से स्थायी समाधान किया जाए । पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाये । भोपाल शाखा क्रमांक-2 मे जल प्रदाय की व्यवस्था का समाधान किया जाए। शाखा क्रमांक-3 के आधुनिकीकरण के बाद खराब टाईल्स बदला नहीं गया है जिसे दुरूस्त किया जाये, किये गये आधुनिकीकरण का कार्य भी संतोषप्रद नहीं है । विदिशा एव पाथाखडे शाखा में दीमक की समस्या व्याप्त है जिससे फर्नीचर और स्टेशनरी खराब हो रहे हैं जिसका समाधान शीघ्र किया जाये । मडंल कार्यालय भोपाल का विस्तारीकरण का कार्य जारी है, एक अतिरिक्त तल का निर्माण चल रहा है किन्तु आधुनिकीकरण लंबित है जिसका शीघ्र समाधान किया जाये । मडंल कार्यालय के विस्तारीकरण के दौरान बदली गई टाईल्स चिकनी, फिसलनभरी एवं सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप नहीं है । यहां कई दुघर्टनायें भी हुई है, क्षेत्रीय कार्यालय भी इससे अवगत है अतः इसका स्थाई समाधान किया जाये ।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कार्यालय द्वारा भूमि क्रय करने हेतु पूंजीगत बजट (CAPITAL BUDGET) प्रदान नहीं किया गया है। अतरू इस वर्ष शाखा- कार्यालय भवन हेतु भूमि क्रय करना संभव नहीं प्रतीत होता है।
भोपाल शाखा क्रमांक-1 की पार्किंग से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित है। भोपाल शाखा क्रमांक-2 में पार्किंग से संबंधित समस्या को क्षेत्रीय कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। मंडल कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार शाखा क्रमांक-2 में जल प्रदाय की कोई समस्या नहीं है।
शाखा क्रमांक 3 के आधुनिकीकरण के बाद ख़राब टाईल्स का कार्य अभियन्त्रिकी विभाग द्वारा देखा जा रहा है। विदिशा एवं पाथाखेड़ा शाखा में दीमक की समस्या हेतु टेंडर प्रक्रिया दिनाँक 05.10.2023 को प्रारंभ हो गयी है। मण्डल कार्यालय के टाईल्स का कार्य अभियन्त्रिकी विभाग द्वारा देखा जा रहा हैं।

सतना - निवाड़ी, मैहर, सतना-1,एवं रीवा शाखा क्रमॉक-2 के लिए जमीन क्रय की जाये। तथा सतना-1 शाखा को अन्यत्र शिफ्ट किया जाये ।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कार्यालय द्वारा भूमि क्रय करने हेतु पूंजीगत बजट (CAPITAL BUDGET) प्रदान नहीं किया गया है। अत: इस वर्ष शाखा कार्यालय भवन हेतु भूमि क्रय करना संभव नहीं प्रतीत होता है। सतना-1 शाखा के भवन के स्थानांतरण हेतु कोई प्रस्ताव हमें मंडल कार्यालय सतना से प्राप्त नहीं हुआ है।

बिलासपुर - शाखा इकाई रायगढ, नैला, भाटापारा, पत्थलगावं, कोरबा-2 एवं बिलासपुर-2 के लिये जमीन क्रय की जाये।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कार्यालय द्वारा भूमि क्रय करने हेतु पूंजीगत बजट (CAPITAL BUDGET) प्रदान नहीं किया गया है। अत: इस वर्ष शाखा निर्माण हेतु भूमि क्रय करना संभव नहीं प्रतीत होता है।

ग्वालियर - ग्वालियर मडंल में गुना और ग्वालियर शाखा-1 के भवन को छोडकर अन्य सभी 09 शाखाये किराये के भवनों मे संचालित हो रही है अतः इन शाखाओं हेतु जमीन क्रय की जाये। शाखा मुरार में पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाये। ग्वालियर-3 शाखा का दो तल की बजाये एक ही तल में स्थानांतरित कर दिया गया है जिससे शाखा में गंभीर समस्या है अतः इसका निराकरण किया जाये ।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कार्यालय द्वारा भूमि क्रय करने हेतु पूंजीगत बजट (CAPITAL BUDGET) प्रदान नहीं किया गया है। अत: इस वर्ष शाखा कार्यालय भवन हेतु भूमि क्रय करना संभव नहीं प्रतीत होता है।
शाखा कार्यालय मुरार को अन्यत्र स्थानांतरण के संबंध में मामला क्षेत्रीय कार्यालय में विचाराधीन है।
ग्वालियर -3 शाखा का अधिकांश भाग एक तल में स्थानांतरित हो चुका है।

शहडोल - शाखा सीएबी शहडोल, शाखा शहडोल एवं सूरजपूर हेतु जमीन क्रय की जाए।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कार्यालय द्वारा भूमि क्रय करने हेतु पूंजीगत बजट (CAPITAL BUDGET) प्रदान नहीं किया गया है। अत: इस वर्ष शाखा कार्यालय भवन हेतु भूमि क्रय करना संभव नहीं प्रतीत होता है।

इंदौर - मनावर, कन्नोद, सेंधवा एवं रतलाम-2 हेतु जमीन क्रय किया जाये। डी.ए.बी. शाखा और इंदौर-3 मे पुरानी लिफ्ट के स्थान पर नई लिफट् की व्यवस्था की जाए।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय कार्यालय द्वारा भूमि क्रय करने हेतु पूंजीगत बजट (CAPITAL BUDGET) प्रदान नहीं किया गया है। अत:इस वर्ष शाखा कार्यालय भवन हेतु भूमि क्रय करना संभव नहीं प्रतीत होता है। रतलाम -2 शाखा का प्रकरण केन्द्रीय कार्यालय प्रेषित किया गया है| लिफ्ट के संबंध में इन्दौर मण्डल से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं|

2. कर्मचारी आवास निर्माण:

रायपुर- दन्तेवाडा में शाखा भवन निर्माण के साथ ही कर्मचारी-अधिकारी आवास गृह का निर्माण भी किया जाये। भिलाई व दल्लीराजहरा के आवासगृहो की बाह्य पुताई तो की गई हैं लेकिन आतंरिक भाग की पुताई कार्य नहीं किया गया है जो कि लंबे समय से लंबित है इसे अतिशीघ्र करवाया जाये।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि दंतेवाड़ा में शाखा भवन हेतु क्रय की गई भूमि पर वन विभाग द्वारा आपत्ति लगाई हुई है जिसके निदान की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है। अंतिम पत्राचार दिनांक 09.03.2023 तथा व्यक्तिगत प्रयास जारी है। कर्मचारी आवास गृह की आंतरिक पुताई का कार्य मण्डल कार्यालय में पदस्थ अभियांत्रिकी टीम/मण्डल कार्यालय के क्षेत्राधिकार का विषय है|

शहडोल – गत वर्ष वैढन शाखा के स्टाफ क्वाटर के मरम्मत कार्य मे प्रयागे की गई सामग्री गुणवत्ता विहीन है तथा टाईल्स व इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य अधूरे हैं जिसके संबंध में पत्र क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। इसका शीध्र समाधान किया जाए।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि उक्त प्रकरण अभियांत्रिकी विभाग के पास विचाराधीन है एवं निरीक्षण के उपरांत आगामी कार्यवाही पर विचार किया जायेगा|

3. निरीक्षण एवं अतिथिगृह की समस्या –

रायपुर – रायपुर मे खाली पडे आवास गृह को अतिरिक्त गेस्ट हाउस के रूप मे विकसित करने की याजेना स्वीकृत हो गई है किन्तु कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है ।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि उक्त सम्बन्ध में निविदा एवं कार्य संपादन हेतु रायपुर मण्डल के अभियांत्रिकी टीम की ओर से कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हैं|

सतना - टीकमगढ के अतिथिगृह का विस्तार किया जाये। निवाडी शाखा में निरीक्षण कक्ष उपलब्ध कराया जाए।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि उक्त सम्बन्ध मण्डल कार्यालय की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं|

इन्दौर - उज्जैन में अतिथि गृह का विस्तार किया जाए। इस संबंध में हाल ही में हमारे साथियों ने चेयर पर्सन को भी उनके दौरे में ध्यान आकृष्ट कराया ।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि मण्डल कार्यालय इन्दौर से प्राप्त अभियंता की फिजीबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार अथिति गृह के विस्तार हेतु कार्ययोजना विचाराधीन हैं|

4. आधुनिकीकरण एवं उससे संबंधित समस्या -

रायपुर- मडंल कार्यालय में जारी आधुनिकीकरण के कार्य में गुणवत्ता की कमी नजर आ रही है, इसे दुरूस्त किया जाए। रायपुर शाखा क्रमॉक-1 के आधुनिकीकरण हुये 20 वर्ष हो चुकी है अतः इनका शीघ्र पुर्नआधुनिकीकरण किया जाये। रायपुर-2 शाखा का आधुनिकीकरण किया जाये।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि रायपुर मण्डल की अभियांत्रिकी टीम द्वारा शीघ्र ही मण्डल कार्यालय के आधुनिकीकरण में हुई कमियों को चिन्हित कर निराकारण की कार्यवाही प्रारंभ के जावेगी| शाखा रायपुर - 2 के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है|

जबलपुर- शाखा सीएबी जबलपुर, मे एसी की सुविधा उपलब्ध कराया जाये। स्वयं के भवनो में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाये।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि जबलपुर मण्डल कार्यालय से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है| तथापि, इस संबध में उचित निर्णय लेने हेतु वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी हैं|

भोपाल - भोपाल मंडल कार्यालय भवन का आधुनिकीकरण किया जाये।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि भोपाल मंडल कार्यालय भवन के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति हेतु केन्द्रीय कार्यालय प्रेषित किया गया हैं| स्वीकृति प्रतीक्षित हैं|

सतना - टीकमगढ, छतरपुर, खजुराहों एवं अमरपाटन शाखाओं में ए.सी. की व्यवस्था की जाये।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि सतना मण्डल कार्यालय से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है|

बिलासपुर - शाखा कार्यालय नैला का आधुनिकीकरण ए.सी के साथ अतिशीघ्र किया जाये।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि बिलासपुर मण्डल कार्यालय से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है|

शहडोल - वैढन शाखा का आधुनिकीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये। शाखा सीएबी शहडोल एव सूरजपुर कार्यालय के भवन शिफ्टिंग एव आधुनिकीकरण प्रस्ताव भी क्षेत्रीय कार्यालय प्रेषित किए गए है, इसे स्वीकृत किया जाए।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि सुझाव पर नियमानुसार विचार किया जायेगा|

इंदौर - इंदौर मडंल की अधिकांश शाखायें स्वयं के भवनों में हैं जो कि आधुनिकीकृत हैं लेकिन वहां एसी उपलब्ध नहीं है । अतः इन शाखाओं मे एसी उपलब्ध कराया जाए। डीएबी इंदौर मे नये एसी लगाये जाए।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि इस संबध में उचित निर्णय लेने हेतु वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी हैं|

10 से 15 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी आधुनिकीकृत शाखायें का पुर्नआधुनिकीकरण किया जाए।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि केद्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार पुर्नआधुनिकीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से नियामानुसार सम्पादित किया जायेगा|

5. मेडीक्लेम की समस्या - रायपुर, छ.ग. राज्य की राजधानी होने के कारण सी.सी.ए. हेतु 'बी' श्रेणी की पात्रता रखता है । लेकिन मेडिक्लेम दावा भुगतान के समय इसे 'सी' श्रेणी रखा गया है जिससे निजी अस्पतालों में रूम किराया का अधिक भुगतान करने के बावजूद 'सी' श्रेणी मे होने के कारण टीपीए 'सी' श्रेणी के आधार पर ही रूम किराये का भुगतान करता है और बाकी राशि काट लेता है । अतः रायपुर का मडेक्लेम दावा भुगतान हेतु भी 'बी' श्रेणी में रखा जाये। शहडोल मडंल में कायर्रत् स्व. बालमुकुंद सोनी पत्नि शचि सोनी के मेडिक्लेम एवं पर्सनल दुर्घटना दावा के भुगतान लंबित हैं जिसका समाधान किया जाये।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि रायपुर मण्डल को मेडिक्लेम के लिए 'बी' श्रेणी में लाने का विषय केन्द्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार का हैं| उक्त प्रकरण को शीघ्र ही विचारार्थ केद्रीय कार्यालय अग्रेषित किया जायेगा| स्व. बालमुकुंद सोनी का प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय में अभी अप्राप्त है।

6. लंबित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण -

दिवगंत दशरथी बघेल स्थाई अंशकालिक कर्मचारी जगदलपुर रायपुर मडंल, शहडोल मंडल के शाखा ब्योहारी के दिवगंत लाकेश नट, उच्च श्रेणी सहायक, दिवगंत राज बहोर सिंग, स्थाई अंशकालिक कर्मचारी शाखा कातेमा दिवंगत गोपाल साहू स्थाई अंशकालिक कर्मचारी, मंगुली, बिलासपुर मडंल, स्व. दुशासन सिंह कुशवाहा और स्व. हरीश जैसवानी ग्वालियर मडंल के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणां का शीघ्र समाधान किया जाये।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि केंद्रीय कार्यालय के परिपत्र क्र. PER/MPR/RPTS/2013/Cir.1 दिनांक 03.12.2013 एवं परिपत्र क्र. CO/Per/MPPR/4/2017 दिनांक 10.10.2017 के निर्देशानुसार निगम के समस्त स्थायी अंशकालिक कर्मचारियों के पूर्णकालिक कर्मचारियों में परिवर्तन के उपरांत अंशकाल के लिए कोई नियुक्ति

नहीं की जानी हैं अत: दिवंगत अंशकालिक कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता हैं ।

स्व. श्री लवकेश नट, उच्च श्रेणी सहायक, शहडोल मण्डल का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मैं रिट पिटीशन क्र. 11846/2020 के अंतर्गत लंबित हैं।

दुशासन सिंह के सुपुत्र की अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण को आयु में छूट हेतु केन्द्रीय कार्यालय भेजा गया था जिसे केंद्रीय कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 12.05.2022 द्वारा अस्वीकृत किया गया हैं. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवेदक के निवेदन पर निर्णय पर पुनर्विचार हेतु प्रकरण केन्द्रीय कार्यालय प्रेषित किया गया हैं|

मण्डल कार्यालय गवालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्व. श्री हरीश जैसवानी के पुत्र की आयु 30 वर्ष से अधिक होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा उनके अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है| आयु में छूट हेतु आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

7. एम.बी.ए. - केन्द्रीय कायार्लय के एम.बी.ए. के मामले में 28.1.2015 को जारी परिपत्र के अनुसार "Course pertaining to MBA before 14th March 2013 will not be re-opened" कहा गया है अतः इस आधार पर सतना मंड़ल के एम.बी.ए. मामले का शीघ्र समाधान किया जाये और शहडोल मडंल के श्री अनूप मेश्राम सहायक बुढार शाखा के एमबीए भत्ता भी लंबित है जिसका निपटारा शीघ्र किया जाये।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि केन्द्रीय कार्यालय के उक्त परिपत्रानुसार उचित कार्यवाही की जा चुकी हैं एवं उक्त सम्बन्ध में न्यायिक प्रकरण भी उच्च न्यायलय में लंबित हैं| श्री अनूप मेश्राम का प्रकरण मण्डल कार्यालय द्वारा मार्गदर्शन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय प्रेषित किया गया हैं, जो विचाराधीन हैं| प्रकरण का अवलोकन करने के पश्चात आगामी कार्यवाही के विषय में मण्डल कार्यालय को सूचित कर दिया जायेगा|

8. अन्य मुद्दे -

- **नवनियुक्त सहायको के वैवाहिक आधार तथा आपसी सहमति के स्थानांतरण स्वीकृत किए जाए। साथ ही नवनियुक्त सहायकां के अंर्तक्षेत्रीय स्थानांतरण के आवेदनों पर सकारात्मक कार्यवाही की जाये।**

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि नवनियुक्त सहायको के स्थानान्तरण पर नियमानुसार विचार किया जायेगा|

- **मध्यक्षेत्र की सभी शाखाओं में आधुनिक तकनीक की नोट गिनने की मशीन उपलब्ध कराई जाये ।**

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि वर्तमान में उपलब्ध नोट गिनने के मशीने केन्द्रीय कार्यालय के specification के हिसाब से तकनिकी रूप से सक्षम हैं| तथापि, इस सुझाव पर सम्बन्धित विभाग से चर्चा कर नियमानुसार विचार किया जायेगा|

- **जबलपुर मडंल के अधिकारियां/कर्मचारियो के क्वारेंटाइन लीव मडंल कार्यालय ने स्वीकृत किया था जिस पर क्वालिटी कंट्रोल टीम ने आपत्ति जताई और वर्तमान में आडिट दल ने क्वारेंटाइन लीव को निरस्त**

करते हुये 11.01.2023 को कर्मचारी के खाते से अर्जित अवकाश डेबिट कर दिया, यह अनुचित है अतः आग्रह है कि इस पर मानवीय आधार पर पुर्नविचार किया जाये।

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि कुल 6 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वयं कि निगेटिव रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर क्वारेंटाइन लीव के स्थान पर अर्जित अवकाश दिनाँक 11.01.2023 को डेबिट कर दिया गया।

- **सतना मडंल में कांकरेंसया के परिचालन नही होने के कारण श्री रोहत सिंह, अंजली सोनी, रामकिशोर पाल, रामसजीवन चतुर्वेदी को फूड कूपन प्राप्त नहीं हो रहा है जिसका शीघ्र समाधान किया जाये।**

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि रोहित सिंह एवं अंजलि सोनी के प्रकरण में कुछ अतिरक्त जानकारी मांगी गयी हैं जो कि अप्राप्त हैं। शेष दोनों प्रकरण से सम्बंधित संपूर्ण प्रपत्र अभी अप्राप्त हैं।

- **अस्थाई कर्मचारियां का समान काम के लिये समान वेतन पद्रान किया जाये। स्थाई प्रकृति अर्थात् चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्यों का कोई भी आऊटसोर्सिंग का प्रयास नहीं किया जाये।**

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि उक्त विषय केन्द्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार का है| कृपया केंद्रीय कार्यालय स्तर पर चर्चा करें|

- **जबलपरु उच्च न्यायालय के निर्णय की रौशनी मे जबलपुर में पदस्थ श्री हीरा लाल कुशवाहा, भतूपूर्व सैनिक के वेतन से की गई कटातै की राशि शीघ्र उन्हें वापस कर उनके वेतन का रि-फिक्सेशन किया जाये**

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि उक्त प्रकरण अग्रिम निर्णय हेतु केन्द्रीय कार्यालय अग्रेषित कर दिया गया हैं

- **शहडोल मडंल के स्व. श्री विनय वर्मा की पत्नि श्रीमती सुषमा वर्मा का देय अंतिम दावा की शेष राशि एव पेंशन का लंबित भुगतान का शीघ्र समाधान किया जाये|**

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि स्व.विनय वर्मा के पारिवारिक पेंशन का भुगतान लंबित है क्योंकि उनके द्वारा उनके पिता को पेंशन हेतु नामित किया गया था। हालांकि उनके अन्य अंतिम भुगतान शहडोल कोर्ट (प्रथम क्लास न्यायाधीश) के निर्देशानुसार किये जा चुके हैं परन्तु कोर्ट ने पारिवारिक पेंशन हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया क्यूंकि ये न तो क़र्ज़ है न प्रतिभूति। अब श्रीमती सुषमा वर्मा द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी है।

- **मध्यक्षेत्र के सभी कार्यालयो में आर.ओ. पीने की पानी की व्यवस्था की जाये ।**

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि केंद्रीय कार्यालय के परिपत्र दिनाँक 14.08.2017 के अनुसार सभी मंडलों को कार्यालयों, अतिथि गृह तथा स्टाफ़क्वार्टर में पीने के पानी हेतु वाटर पयूरीफायर, जो कि अच्छी कंपनी का हो और जो उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस हो (जैसे आर.ओ./यू.वी./यू.एफ़.) लगाने की अनुमति है।

- **तृतीय एव चतुर्थ श्रेणी संवग में कर्मचारियों की नई भर्ती शीध्रातिशीघ प्रारंभ की जाये ।**

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि उक्त विषय केन्द्रीय कार्यालय का क्षेत्राधिकार हैं|

- **ग्वालियर मडंल के स्व. श्री सुनील राव दहीफले के भविष्य निधि का भुगतान लंबित है जिसका समाधान शीघ्र किया जाये।**

प्रबंधन की ओर से बताया गया कि कार्यालय सेवा विभाग ग्वालियर द्वारा हमे ई- मेल प्राप्त हुआ है जिसमे मृतक के पुत्र (श्री मृणाल दहिफले) का पत्र सलग्न है । सलग्न पत्र मे लिखा है कि मृतक द्वारा LIC HFL से हाऊसिंग लोन लिया गया था जिसके कटौत्री टर्मिनल बेनेफिट से कर ली गई है । फार्म मे त्रुटीवश मकान का उल्लेख नही किया गया है । भविष्य निधि विभाग द्वारा रिवाईज 3806 फॉर्म मांगा गया है जिसके लिये आज दिनांक 09.10.2023 को कार्यालय सेवा विभाग ग्वालियर को मेल प्रेषित किया गया है ।

सभा के अंत में श्री अजित केतकर ने सूचना सहभागिता सत्र के सफल आयोजन पर क्षेत्रीय प्रबन्धन को धन्यवाद देते हुए कहा कि पॉवर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से विभिन्न मानको पर निगम की स्थिति के सम्बन्ध में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई एवं कार्यसूची में सम्मिलित सभी विषयों पर सारगर्भित चर्चा हुई है तथा उन्हें विश्वास है कि शीघ्र ही इन सभी पर यथायोग्य कार्यवाही की जायेगी।